



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14768

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 627 सन् 2026

श्रीमती कुसुम देवी पत्नी मुरारी सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: मोहम्मद शाहंशाह खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शाहंशाह खान और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका संख्या 19274/2025 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें 19.12.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शाहंशाह खान और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चुनार, जिला मिर्जापुर में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात हैं। हालांकि, उन्हें 28.11.2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कछवां, जिला मिर्जापुर में स्थानांतरित कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जनहित याचिका संख्या 15238/2018 (पंकज मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य) में पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश पर आधारित है और याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के दो बच्चे हैं, कृष्ण सिंह (आठवीं कक्षा का छात्र) और अदिति सिंह (दसवीं कक्षा की छात्रा), जो सेंट थॉमस स्कूल, चुनार, मिर्जापुर में पढ़ रहे थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि यह सत्र के मध्य में तबादला है और सत्र समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता तबादले वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

4. स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या निर्णय पांचवें प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मिर्जापुर द्वारा किया जाना चाहिए।

5. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। पांचवें प्रत्यर्थी को यह प्रत्यावेदन 31.12.2025 तक प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसमें यह दर्शाने और पुष्ट करने वाले दस्तावेज संलग्न होने चाहिए कि याचिकाकर्ता के बच्चे पहले से ही वहां रह रहे हैं। इस प्रत्यावेदन के आधार पर, प्रत्यर्थी कानून के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि। यदि पाँचवें प्रत्यर्थी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेजे जाएँगे।

6. प्रत्यावेदन के निपटारे तक, याचिकाकर्ता को स्थानांतरित स्थान पर उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

7. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। "

3. आदेश पारित होने के बाद, रिट याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे पांचवें प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मिर्जापुर द्वारा 07.01.2026 को अस्वीकार कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ प्रत्यावेदन दाखिल करके, रिट याचिकाकर्ता ने मध्य सत्र स्थानांतरण का लाभ उठाते हुए, उस स्थान पर बने रहने के दावे पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया था जहाँ वह पहले से कार्यरत है और रिट याचिकाकर्ता के दो बच्चों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए थे, लेकिन इस तथ्य पर विचार किए बिना कि स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि यह मध्य सत्र स्थानांतरण नहीं हो सकता, विशेष रूप से, बच्चे पहले से ही कक्षा आठवीं और कक्षा दसवीं में पढ़ रहे हैं, इस दावे पर एक झटके में विचार कर लिया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि सत्र के अंत तक स्थानांतरण न होने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने रिट याचिका और अपने बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है।

8. इस समय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने निवेदन किया कि 31.03.2026 तक संरक्षण प्रदान किया जाए।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

10. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता के दो बच्चे, कृषु सिंह (कक्षा आठ का छात्र) और अदिति सिंह (कक्षा दस की छात्रा), इसलिए रिट याचिकाकर्ता को 27.01.2026 तक पांचवें प्रत्यर्थी के समक्ष एक वचन देना होगा कि रिट याचिकाकर्ता 01.04.2026 तक स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

11. 31.03.2026 तक, याचिकाकर्ता के परिवार को बेदखल नहीं किया जाएगा।

12. इस आदेश का लाभ केवल उन्हीं परिस्थितियों में मिलेगा जब याचिकाकर्ता निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे, और किसी भी चूक की स्थिति में, यह संरक्षण पीठ के संदर्भ के बिना ही समाप्त हो जाएगा।

13. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

14. याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला है कि वह प्रत्यर्थी-प्राधिकरण के समक्ष उस वेतन के भुगतान के लिए शिकायत दर्ज करे जिसका भुगतान नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।